पार्किंग का दर्द - बाजारों में किसी भी दुकान या संस्थान के सामने नहीं है पार्किंग की कोई सुविधा

बाजार में नहीं है कहीं पर पार्किंग की सुविधा, सड़क तक दुकानदारों ने जमा लिया कब्जा

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के प्रमुख बाजारों में किसी दुकान के सामने वाहन पार्किंग एक बड़ी समस्या है। घांसबाजार क्षेत्र की बात की जाए तो यह क्षेत्र आवासीय के साथ ही व्यावसायिक भी हो गया है। ऐसे में मकान मालिकों के बड़े-बड़े वाहन सड़कों पर ही खड़े रहते हैं और जो दुकानदार हैं उन्होंने पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की। बदहाली का आलम यह है कि दुकानों के सामने जगह नहीं होने से आधी सड़क तक वाहनों को खड़ा करना पड़ रहा है।

पिछले सालों में शहर में पार्किंग को लेकर कई प्रयास किए गए किंतु फौरी तौर पर हुए प्रयास कुछ ही समय ठंडे बस्ते के हवाले हो गए और समस्या जस की तस है। अब तो हालात और भी बुरे होते जा रहे हैं क्योंकि दिनोंदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाजारों में त्योहार तो ठीक आम दिनों में भी वाहन लेकर पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है।

घांसबाजार क्षेत्र में पहले ही चार पहिया वाहनों के खड़े होने के बाद जगह नहीं बचती है ऊपर से दुकानों पर खरीदारी करने वालों के वाहनों का खड़ा होना या आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में इस क्षेत्र में ठेला व्यवसायी और सड़क किनारे बैठकर दुकान लगाने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से भी अब इस क्षेत्र की स्थिति खराब हो रही है।

पत्रिका

पत्रिका 11/11/21

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन

रतलाम। क्रेडिट आउटरीच कैंप सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा ताल जिला रतलाम में 8 नवंबर को आयोजित किया गया। इस अवसर पर रतलाम जिला अग्रणी प्रबंधक दिलीप सेठिया, प्रभारी ग्रामीण विकास विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रतलाम त्रिलोक सांखला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा ताल के शाखा प्रबंधक सचिन पांडे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ताल के शाखा प्रबंधक नंदकिशोर, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा ताल के शाखा प्रबंधक अखिलेश जैन, स्टाफ, सम्माननीय ग्राहकगण एवं आमजन तथा बीसी उपस्थित थे। जिला अग्रणी प्रबंधक द्वारा ग्राहकगण एवं आम नागरिकों को शासन चलित सभी शासकीय ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। ऑनलाइन फ्रॉड में सतर्क रहने, सीएम हेल्पलाइन शिकायत नहीं करने एवं ऋण की किस्त समय पर चुकाने के बारे में बताया। शासन द्वारा प्रायोजित योजना जैसे स्वयं सहायता समूह, पीएम स्वानिधि, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता तथा अन्य योजनाओं में स्वीकृत किए गए।

नवभारत 11/11/21

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए

रतलाम। हमें स्वच्छता के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, स्वच्छता उतनी ही आवश्यक है जितना हमारे लिए भोजन हवा और पानी इन सब के बिना हमारा जीवन बिलकुल अधूरा है और इसी प्रकार स्वच्छता के बिना हमारा जीवन अधूरा है । उक्त विचार नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने मगंलवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित विभिन्न जागरुकता गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। वही कई क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से सम्पर्क कर उन्हे कचरे निपटान के सही तरीकों से अवगत कराया। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह,किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे। नवभारत

नवभारत 11/11/21

कलेक्ट्रेट, मंडी परिसरो तथा पंजीयक कार्यालयों में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था

रतलाम। कोरोना वैक्सीनेशन से कोई छूटे नही, कोई वंचित नही रहे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर जिले के कृषि उपज मंडी परिसरों में आने वाले किसानों को वैक्सीनेट करने के लिए स्थाई वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जहां तैनात टीकाकरण दल कलेक्ट्रेट में आने वालों से वैक्सीन के संबंध में पूछताछ कर रहा है। जिनको वैक्सीन नही लगी उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। मंगलवार को वैक्सीनेशन दल द्वारा कलेक्ट्रेट आने वाले 24 व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय स्थित पंजीयक कार्यालय तथा तहसीलों के उपपंजीयक कार्यालय परिसरो में भी रजिस्ट्री करवाने आने वाले व्यक्तियों को वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीनेशन दल तैनात किए गए हैं।

सिंघम - 10

जन सुनवाई में 39 आवेदन आए, सम्बंधित अधिकारियो को निराकरण के निर्देश जारी

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। जनसुनवाई में 39 आवेदन आए जिन पर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य तथा सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे ने जनसुनवाई की। आवेदकों की समस्या सुनी, निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए। जिला स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई में उपस्थित थे।

जनसुनवाई में एक महिला द्वारा अपनी छोटी बहन के संबंध में आवेदन दिया गया कि उसके पति द्वारा महिला की छोटी बहन के साथ कई वर्षों से दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्मी जीजा के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया। महिला ने मांग की है कि उसकी छोटी बहन को आर्थिक सहायता दिलाई जाए तथा रोजगार की व्यवस्था भी की जाए। आवेदन पर संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।

जवाहर नगर के नागरिकों ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि राम मंदिर से होकर जवाहर नगर और सखवाल नगर के बीच बहने वाले नाले पर 15 से 20 फीट का अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण के कारण नाले में बहने वाला पानी सडकों पर आ जाता है जिससे क्षेत्र में मच्छरों व गंदगी की भरमार हो गई है। बारिश के मौसम में अतिक्रमण की वजह से पानी घरों के पिछले हिस्से में भर जाता है। अतः इस समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। उक्त प्रकरण को नालों पर अतिक्रमण वाली सूची में शामिल करने हेतु तहसीलदार शहर को भेजा गया है।

सिंघम - 10

सिंघम - 10/11/21

गुरुवार को तोड़ जाएंगे अवैध कॉलोनियों के अतिक्रमण

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

जिले भर में जहां कहीं अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही है, उनके निर्माणों को तोड़ा जाएगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त नगरीय निकायों को इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक गुरुवार से अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

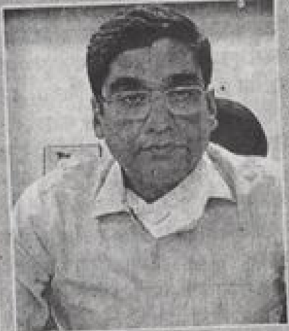

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों के निर्माणों को ध्वस्त करें।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कॉलोनाइजेशन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने के प्रावधान भी म.प्र.नगर पालिक अधिनियम 1961 में दिए गए है।

कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों, नगर पालिका नगर पंचायतों के सी एम ओ और रतलाम नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनना पाया जाता है, तो इसके लिए उस नगरीय क्षेत्र के अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में वहां के तहसीलदार व उसके अधीनस्थ अमले को भी जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही सम्बन्धित अनुविभाग के एस डी एम की भी जिम्मेदारी है कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना मिलते ही उसके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए। कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम ने नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि यदि रतलाम नगर निगम क्षेत्र में कोई अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है, तो इसके लिए संबंधित इंजीनियर को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त को निर्देश दिए गए है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस सम्बन्ध में निर्देश देकर स्वयं इसका पर्यवेक्षण करें। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला अपने-अपने क्षेत्र में बन रही अवैध कॉलोनियों के निर्माण तोड़ने की योजना बनाने में जुटा है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को रतलाम नगर समेत जिले के अन्य कई क्षेत्रों में अतिक्रमण तोड़े जाएंगे। प्रसारण

प्रसारण 11/11/21

अवैध कॉलोनी निर्माण: तहसीलदार-संबंधित अधिकारी होंगे जिम्मेदार

पत्रिका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अवैध कॉलोनियों के मामले में कलेक्टर ने फिर से सख्ती दिखाई है। कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने इसे लेकर बुधवार को एक पत्र जारी किया है, जिसके तहत निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में अवैध कालोनियों का निर्माण नहीं हो।

कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया गया तो संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं उसका अधीनस्थ आमला जिम्मेदार होगा। इतना ही नहीं इसे लेकर संबंधित एसडीएम की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। इसी तरह रतलाम नगर निगम आयुक्त को भी निर्देशित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र का इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

पत्रिका 11/11/21

सख्ती • कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर अफसरों की जिम्मेदारियां तय कीं ताकि न हो लापरवाही

अवैध कॉलोनियां बसीं तो शहर में निगमायुक्त, ग्रामीण में तहसीलदार, एसडीएम और सीएमओ को देना होगा जवाब

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अवैध कॉलोनियों को पनपा रहे अफसरों की खैर नहीं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ऐसे अफसरों को साफ चेतावनी दे दी है कि किसी भी स्थिति में अवैध कॉलोनियों नहीं बन पाए। भविष्य में यदि किसी भी नगरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनी विकसित होती पाई गई तो संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी और तहसीलदार जिम्मेदार होंगे।

एसडीएम अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना मिलते ही कार्रवाई करें। कलेक्टर ने निगम आयुक्त को चेताया है कि अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर की नजर पड़ी : नामली बायपास की अवैध कॉलोनी टूटेगी

अंचल का निरीक्षण करते हुए आ रहे कलेक्टर पुरुषोत्तम की नजर बुधवार शाम नामली बायपास पर बन रही अवैध कॉलोनी पर पड़ गई। तत्काल रुककर कलेक्टर ने कॉलोनी निर्माण देखा और तोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच करने को कहा। एसडीएम कृतिका भीमावद ने नामली बायपास पर बन रही चार अवैध कॉलोनियों की जांच शुरू कर दी हैं। जमीन मालिकों के नाम, पते के साथ विकास अनुमति व अन्य दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। एसडीएम भीमावद ने बताया एक कॉलोनी का मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए तोड़ नहीं सकते। बाकी पर जांच के बाद कार्रवाई करेंगे।

भास्कर

सेमलिया नल जल योजना 25 दिसंबर तक हो जाएगी पूरी

जल जीवन मिशन में चल रही नल जल योजना की शिकायत मिलने पर बुधवार को कलेक्टर सेमलिया पहुंचे। चौपाल लगाकर उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर जानकारी ली। पीएचई के इंजीनियर तथा ठेकेदार को बुला सख्त लहजे में फटकार लगाई। साथ ही 25 दिसंबर काम पूरा करने का लक्ष्य दिया समय से काम पूरा नहीं होने पर ठेकेदार क ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। पीएचई और इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होगी। 31 दिसंबर को फिर से आकर काम देखें ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की समस्ता बताई। ही हाईस्कूल के नए भवन के निर्माण और हायर सेकंडरी स्कूल खोलने की मांग रखं

दै. भास्कर 11/11/21

अवैध कालोनी बनी तो सीएमओ, तहसीलदार होंगे जिम्मेदार

रतलाम। जिले में अब अगर नगरीय क्षेत्र में कोई नई अवैध कालोनी बनती है तो संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार व अधीनस्थ अमले को जिम्मेदार माना जाएगा। संबंधित एसडीएम की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कालोनी निर्माण प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने चेताया है कि किसी भी स्थिति में अवैध कालोनियों का निर्माण नहीं हो। रतलाम नगर निगम आयुक्त को भी निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कालोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर की जिम्मेदार होगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

नईदुनिया 11/11/21

बीच सड़क पर लगे बैनरों से हो रही दुर्घटनाएं

पुलिस और निगम अधिकारियों की लापरवाही आ रही सामने

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों की वजह से शहर में आए दिन सड़क हादसे हो रहे है, कभी जर्जर सड़क हादसों का कारण बन रही है तो कही आवारा श्वान राहगीरो को काट रहे है। इसके साथ ही बीच सड़क पर निगम के प्रचार प्रसार वाले बैनरो की वजह से हादसे हो रहे है, लेकिन इस सबके बीच जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नही दिया जाता है।

नगर निगम द्वारा महू रोड स्थित सुभाष काम्पलेक्स की दुकाने बेचने के लिए शहर के प्रमुख मार्गो पर बडे-बडे बैनर लगवा दिए है, अब यह बैनर राहगीरों के लिए हादसे का सबब बन गए है, बुधवार को गर्ल्स कालेज के सामने बने सर्क ल पर दो बाईक सवार आपस में टकरा गए, इनके टकराने की वजह यातायात के नियमों का पालन नही करना था, इसके साथ ही निगम के लापरवाह अधिकारियों द्वारा इस तिराहे पर लगाए गए बडे बैनर के कारण भी यह हादसा हुआ है, जिसमें दोनो बाईक सवारों को चोट लगी है। रोटरी सर्क ल पर दोनो तरफ लगे बडे बैनर की वजह से दोनो साईड से आने जाने वाले को कुछ दिखता नही है, जिसकी वजह से यहां आए दिन दूर्घटनाए हो रही है।

वहीं इसमें पुलिस का यातायात विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है, यातायात के नियमों का कागजों में पालन करवाने वाला यह विभाग हकीकत में सिर्फ वाहनो में बैठकर खानापूर्ति करते नजर आता है। दो बत्ती पर हुए हादसे के बाद यहां से गुजरने वाले ट्राफिक पुलिस के जवान जयंत भाटी से जब पूछा गया कि बीच सड़क पर यह बैनर क्यो लगे है इससे हादसे हो रहे है तो उनका कहना था कि मुझे नही लगता इन फ्लेक्स-बैनर से हादसे होते है, और आपको कोई परेशानी है तो थाना प्रभारी महोदय या नगर निगम के अधिकारियों से बात करो। यातायात के नियमो का पालन करवाने वाले पुलिस जवान का इस तरह का बयान इनकी लापरवाही को उजागर करता है जिसकी वजह से दूर्घटनाए होती है। २१७

राजएक्सप्रेस 11/11/21

रतलाम नगर निगम की धन्नासेठ पर बड़ी कार्यवाही

अंकलेसरिया शोरुम बिल्डिंग में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराया

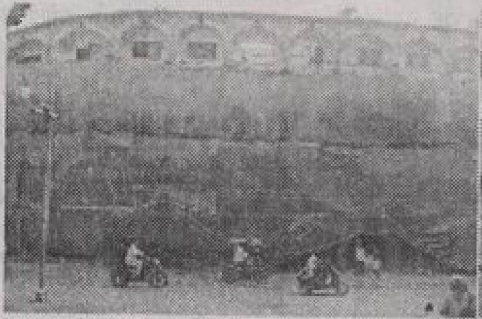

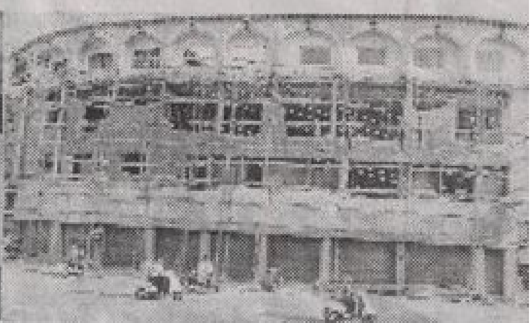

(ओम त्रिवेदी)

* नियम विरुद्ध करीब तीन माह से चल रहा था निर्माण कार्य
* अवैध निर्माण का मास्टर माइंड है निगम का सहायक यंत्री
* कथित रेट्रोफिटिंग तकनिकी से भवन नवीनीकरण की साजिश?
* इस बिल्डिंग से काम करते हुए एक एसी टेकनिशियन की गिरकर हो चुकी है अकालमौत
* पूरी तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के प्रावधानों से बचने के लिए यह अपनाया हथकंडा
* रोटरी हाल काण्ड एवं एक डाक्टर की करतूत की चर्चा हुई गर्म
* क्या कलेक्टर इस मामले में सख्त कार्यवाही

पर्दे की आड़ में गुल खिला रहा था गुस्ताद

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

शहर के व्यस्ततम क्षेत्र दो बत्ती पर अंकलेसरिया बिल्डिंग पर नगर निगम के दो इंजीनियरों के संरक्षण में चल रहा अवैध निर्माण कार्य को आज आयुक्त के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया जिससे शहर के बाशिंदों में यह विश्वास जागा है कि प्रभावशाली धन्नासेठ के खिलाफ सख्त कार्यवाही होती है। नागरिकों ने प्रशासन से आगे भी इस बिल्डिंग में नियमों को ताक में रखकर किये जा रहे कथित रेट्रोफिटिंग एवं अन्य अवैध कार्यों की जांच एवं कार्यवाही की मांग की है।

बताया जाता है कि विगत करीब तीन माह से अंकलेसरिया बिल्डिंग में दो भ्रष्ट इंजीनियरों की शह पर इस तीन मंजिला भवन में पिलर हटाने, फर्श उखाड़ने, होटल के कमरों को तोड़ने, छत को शिफ्ट करने जैसे अनेक अवैध निर्माण कार्य बिना अनुमति के बिल्डिंग के बाहर पर्दा तानकर अंदर निरंतर किये जा रहे थे।

क्षेत्र के सहायक यंत्री के मुंह पर चांदी का जूता पड़ने के बाद वे इस भवन में अवैध निर्माण करने की तकनीकी सलाह देते रहे? आश्चर्य है कि जिस इंजीनियर को इस तीन मंजिला विशाल भवन के नियम के विरुद्ध निर्माण को रोकने की जिम्मेदारी थी वह जेब गर्म होने के बाद इस धन्ना सेठ के सामने नत मस्तक हो गया? यह बेहद दुखद एवं कार्यवाही के योग्य है। क्या कलेक्टर इस अंकलेसरिया भवन कांड की पूरी जांच करवायेंगे। यह यक्ष प्रश्न जनता के सामने विद्यमान है।

बताया जाता है कि इस विशाल पुराने भवन में नवीनीकरण के प्रारंभ में एयर कंडीशनर को निकालते समय एक युवा मैकेनिक तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर गिर गया था जिससे उसकी मौके पर ही अकाल मौत हो गई थी। यह प्रकरण पुलिस के पास गया भी लेकिन धन्नासेठ ने इस गंभीर घटना को पुलिस प्रशासन को प्रभाव दबाव में लेकर इस प मिट्टी डलवा दी।

आज हुई कार्यवाही से पर्दे की आड़ में बिल्डिंग में गुल खिला रहा गुस्ताद की कलई खुल गई। आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर सिटी इंजीनियर ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री, पर्दे आदि जब्त कर लिये हैं। रोटरी हाल एवं आसपास के लीज की भूमि को अपनी बपौती समझने वाले धन्नासेठ के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई उज्जैन द्वारा पांच धाराओं में सन 2018 में प्रकरण भी दर्ज हुआ था। अनेक कांडों के कारण बदनाम व्यवसायी धन्नासेठ अब भाजपा की शरण में जाकर अपने काले कारनामों को दबाना चाहता है। यह भाजपा रतलाम के लिये परीक्षा की घड़ी है।

अवंतिका 11/11/21

– प्रेमचन्द्र फतरोड वार्ड 5 के प्रभारी पद से किया मुक्त

कचरा संग्रहण वाहन के 4 चालक व 2 कम्प्युटर आपरेटरों का वेतन काटा

रतलाम। कचरा संग्रहण वाहन के चार चालकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने व दो कम्प्युटर आपरेटरों द्वारा सीएम हेल्प लाईन निराकरण कार्य में लापरवाही बरतने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

सेवा से बर्खास्त किये जाने का दिया कारण बताओ सूचना-पत्र

कचरा संग्रहण वाहन के चालक कैलाश परमार वार्ड क्रमांक 8, दिनेश परमार वार्ड क्रमांक 12, रविन्द्र वार्ड क्रमांक 19 व पवन जैथपुरिया वार्ड क्रमांक 27 द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने से प्रभावित हुआ कचरा संग्रहण के कारण एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। कम्प्युटर आपरेटर नवीन बैरागी व सौरभ अग्रवाल द्वारा 8 नवम्बर को सीएम हेल्प लाईन की पूर्व से लंबित शिकायतों को कम नही करवाये जाने व स्टेटस अपडेट कर स्वंय अवगत नहीं कराने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

इसके अलावा प्रेमचन्द फतरोड को वार्ड क्रमांक 5 के प्रभारी पद के दायित्व से मुक्त कर सेनेटाईजेषन टीम के टीम लीडर का कार्य आगामी आदेश तक सौंपा।

इन्दौर समाचार 11/11/21

74 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को 74 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 26060, ट्रैक्टर-ट्राली से 9800, काम्पेक्टर सूखा कचरा 18240, काम्पेक्टर गीला कचरा 20675 कुल 74775 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

4236 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन

रतलाम। शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन के निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाए गए केंद्रों पर किया जा रहा है। इसके तहत बुधवार को 60 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया। अब तक 4236 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

नईदुनिया 11/11/21

निगम की कार्रवाई पर **सवाल**

पर्दा डाल निर्माण पर निगम को एतराज

निगम- बिना अनुमति हो रहा था निर्माण | निर्माणकर्ता- सबकुछ नियम के तहत किया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के दो बत्ती चौराहा पर एक व्यावसायिक भवन निर्माण को लेकर बुधवार को नगर निगम दल ने कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री जब्त कर ली व कार्य रूकवा दिया। निगम का तर्क है कि बिना अनुमति के पर्दा डालकर निर्माण किया जा रहा था, जबकि निर्माणकर्ता व्यवसायी का कहना है कि सबकुछ नियमों के तहत ही किया जा रहा था। निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए हैं, हालांकि निगम दल ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराते हुए संबधित व्यावसायिक स्थल पर करीब 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

शहर के दो बत्ती स्थित भवन के भीतर निर्माण को लेकर शिकायत के बाद नगर निगम के अमले ने बुधवार को कार्रवाई की। निगम का कहना है कि निर्माण कार्य की मंजूरी नहीं ली गई व इसके बाद अधिनियम में मिली शक्ति के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। जवाब में कारोबारी का कहना है कि किसी भी तरह का नियम नहीं तोड़ा गया है। दो बत्ती क्षेत्र में हो रहे इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए नगर निगम ने 24 घंटे का नोटिस जारी किया था। व्यावसायी ने कार्य नहीं रोका तो बुधवार को निगम के सिटी इंजीनियर सहित लोकनिर्माण विभाग का दल पहुंचा व निर्माण सामग्री जब्त कर ली। इसके अलावा स्पॉट फाइन दल ने भी जुर्माना किया है।

नोटिस के बाद कार्य जारी- निगम के सिटी इंजीनियर हनीफ शेख ने बताया कि व्यावसायी गुस्ताद अंकलेसरिया ने बगैर सूचना के निर्माण कार्य किया, कार्य रोकने के नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सूचना मिली थी कि कार्य जारी है। बुधवार को सिटी इंजीनियर शेख टीम लेकर बिल्डिंग पर पहुंचे। इसके बाद निर्माण की मंजूरी के दस्तावेज मांगे गए। जब निर्माण के दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो लगे हुए पर्दे को उतारने के साथ निर्माण सामग्री जब्त की गई।

पत्रिका

यह कहता है नियम

आरोप है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास अधिनियम 1984 के अनुसार दुकान या घर के अंदर किसी प्रकार के किए जा रहे निर्माण के लिए मंजूरी की जरुरत नहीं है। इतना ही नहीं, अगर वेंटिलेटर या खिड़की का कार्य चल रहा है तो सुरक्षा के लिए बास बल्ली लगाना जरूरी है। दो बत्ती के व्यावसायी ने बास बल्ली लगाकर ही कार्य किया। इसके बाद भी नगर निगम ने कार्य रुकवाया व सामग्री को जब्त किया।

शहर में हमारा परिवार प्रतिष्ठित कारोबारी है। आज तक कानून को नहीं तोड़ा यह सभी जानते हैं। पहली बार पता चला कि घर या दुकान में कील लगाने के लिए भी नगर निगम से मंजूरी की जरुरत है।
- गुस्ताव अंकलेसरिया, व्यावसायी

मप्र नगर निगम अधिनियम 1954 की धारा 291 से लेकर 295 तक निर्माण/पुनः निर्माण के बारे में साफ लिखा गया है कि बगैर मंजूरी के कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए निगम द्वारा की गई पूरी कार्रवाई वैधानिक है। **- सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 11/11/21

4176 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 09 नवम्बर मंगलवार को 32 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया इस तरह अब तक 4176 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 41 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, नि:शक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय-पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मशाला, वार्ड 4 महर्षी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 सांई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाश नगर, वार्ड 16 काश्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृश्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 शांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृश्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना पैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 शासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव, वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेशन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मशाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

स्वतंत्र पैगाम 11/11/21

कोविड से पूर्ण सुरक्षा के लिए जरूरी है वैक्सीन के दोनों डोज-मुख्यमंत्री

महाअभियान की चार तारीखों को ध्यान में रखकर सभी करें सहयोग

रतलाम। मध्यप्रदेश ने वैक्सीनेशन में देश में अग्रणी रहकर प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी दिसम्बर माह तक प्रदेश के सभी पात्र लोगों को कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन का द्वितीय डोज लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश दिसम्बर माह के अंत तक सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

इन तारीखों को रखें याद- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश में नवम्बर माह की 10, 17 और 24 तारीख के अलावा 4 दिसम्बर को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा।

अन्य प्रांतों के लिए अनुकरणीय बना है मध्यप्रदेश- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 से पूर्ण सुरक्षा के लिए वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि अभी तक हुए टीकाकरण महाअभियानों में प्रदेश के नागरिकों की जागरूकता सराहनीय और अन्य प्रांतों के लिए अनुकरणीय है।

विद्यार्थियों का सहयोग रखा जाएगा याद- मध्यप्रदेश वैक्सीनेशन में प्रथम बना रहे, इसके लिए हमारे विद्यार्थी बंधु भी आगे आये हैं। वे घर-घर जाकर वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने का आग्रह आम जनता से कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग द्वारा दिए जाने वाले इस सहयोग को याद रखा जाएगा।

उपाज

वेक्सीन के दूसरे डोज के महाअभियान को सफल बनायें

रतलाम। भारतीय जनता पार्टी जिला टीकाकरण प्रभारी गोविंद काकानी ने जिले के सभी नागरिक बंधुओं से अपील की है कि टीकाकरण के महाअभियान में आप सभी की सराहनीय भूमिका के कारण ही रतलाम का नाम प्रदेश में अग्रणीय शहरों में रहा है। दीपावली के पर्व के बाद मोबाइल सूचना के माध्यम से असहाय जागरूक नागरिकों ने घर बुलाकर टीकाकरण का सराहनीय कार्य करवाया एवं अन्य को भी जल्द टीकाकरण करवाने की प्रेरणा दी।

प्रदेश में होने वाले 17 नवंबर एवं 24 नवंबर को महाअभियान में अपना द्वितीय टीका लगवा कर महाअभियान को सफल बनाएं। रोगी कल्याण समिति सदस्य श्री काकानी ने उन सभी बीमार व्यक्तियों से भी अपील की है जो टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं वे 1075 या मोबाइल नंबर 9329310044 पर संपर्क कर मैसेज देवें ताकि उनका भी घर जाकर टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण के इस अभियान में दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त, किसी कारणवश टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंचने की परेशानी से ग्रस्त नागरिकों को टीका लगा कर टीकाकरण अभियान को गति प्रदान की। टीकाकरण अभियान में लगी टीम के सम्मानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठजन, संगठन के सभी पदाधिकारी, टीकाकरण मंडल प्रभारी एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने में सहयोग मिला।

उपाज

उपाज 11/11/21

बड़ी लापरवाही • सीएम जनकल्याण संबल योजना में गरीब परिवारों को समय पर नहीं मिल रही राशि

उपायुक्त ने छीना गरीबों का संबल, डिजिटल सिग्नेचर बंद, 9 परिवारों की रुकी 22 लाख रुपए की सहायता

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नगर निगम के लापरवाह उपायुक्त (डीसी) विकास सोलंकी ने 9 गरीबों का संबल छीन लिया है। वह भी तब जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद 27 सितंबर को सहायता राशि भेजी थी। यह अब तक परिवारों के खातों में नहीं पहुंच पाई है क्योंकि उपायुक्त का डिजिटल सिग्नेचर बंद है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है। उधर मुखिया को खो चुके परिवार वाले खाता चेक करते हुए निगम में भटक रहे हैं।

मामला मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना का है। इसके सामान्य और दुर्घटना मृत्यु वाले 9 परिवारों की 22 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर होने के बाद नगर निगम निठल्ले अफसरों के कारण डेढ़ माह से रुकी पड़ी हैं। इतना ही नहीं 22 प्रकरण स्वीकृत होकर वेटिंग लिस्ट में है। समय पर डिजिटल सिग्नेचर बन जाते थे तो अक्टूबर में पुराने के साथ नए हितग्राहियों को सहायता राशि मिल जाती। उधर परिवार वालों को चक्कर खाते देख सहायता राशि जारी करने के बदले वसूली की बात चल निकली है। बात में दम इसलिए है क्योंकि कुछ ही दिनों में बनने वाला डिजिटल सिग्नेचर डेढ़ माह में नहीं बन पाया है। शिकायतों के चलते अफसर की करामात कलेक्टर की नजर में आ चुकी हैं। जो कार्रवाई से बचने दोबारा डिजिटल सिग्नेचर लेने की भागदौड़ में जुट गए हैं।

विधायक काश्यप के प्रयास से सरकार ने रजिस्टर्ड परिवारों का सत्यापन करने के आदेश दिए थे

सत्यापन भी नहीं करा पाए निगम के अफसर

संबल योजना 2018 में शुरू हुई थी। तब 38646 का पंजीयन हुआ था। 26 हजार के कार्ड प्रिंट हो गए थे, जिनमें से दो से तीन हजार अब भी नगर निगम में धूल खा रहे हैं। 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के निर्देश पर भौतिक सत्यापन करके 23375 को अपात्र घोषित कर दिया था। मार्च 2020 में फिर से भाजपा की सरकार बनने पर विधायक चेतन्य काश्यप के प्रयास से सरकार ने रजिस्टर्ड परिवारों का सत्यापन करने के आदेश दिए थे। यह काम भी अब तक ननि के अफसर पूरा नहीं कर पाए हैं।

पहला मामला राजीवनगर निवासी सुनील जोशी का नवंबर 2020 में माइनर हार्ट अटैक से निधन हो गया था। मां निर्मला जोशी को मुख्यमंत्री संबल योजना में 2 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। डिजिटल सिग्नेचर के कारण नहीं मिल पा रहे हैं। मंगलवार को बेटे सहित कलेक्टोरेट जाकर उन्हीं मैडम से शिकायत की, जिन्होंने 27 सितंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन ठीक से जवाब नहीं मिला।

दूसरा मामला ओल्ड रेलवे कॉलोनी (वर्तमान में रेल नगर) निवासी पार्वती बिलवाल के पति राजेश बिलवाल की 16 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। पार्वती बाई ने बताया संबल योजना में फार्म भरा था। अब तक बैंक खाते में राशि नहीं आई है। निगम भी कई बार जाकर पूछ लिया कोई ठीक से जवाब नहीं देता। फार्म भरते समय कहा था कुछ ही दिनों में सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिल जाएगी।

जिन्हें नहीं मिल सकी है संबल सहायता

हितग्राही	कारण	सहायता राशि
प्रवीण बी	सामान्य मृत्यु	200000
निर्मला जोशी	सामान्य मृत्यु	200000
राजकुमारी	दुर्घटना मृत्यु	400000
लीलाबाई	सामान्य मृत्यु	200000
पार्वती बिलवाल	सामान्य मृत्यु	200000
शमशाद बी	सामान्य मृत्यु	200000
मैमूना बी	दुर्घटना मृत्यु	400000
आसिफ शाह	सामान्य मृत्यु	200000
नजमा बी	सामान्य मृत्यु	200000

भोपाल से हर माह कुछ प्रकरणों को चुनकर वन क्लिक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। दोबारा डिजिटल सिग्नेचर मिलते ही एक सप्ताह में परिवारों को सहायता राशि जारी कर दी जाएगी।
नलिनी कटारा, लेबर इंस्पेक्टर

दे. भास्कर 11/11/21

ज्यादा टेक्स देने वाले सराफा की सड़कें नहीं सुधरवा पाया नगर निगम

रतलाम। बारिश के दौरान जर्जर हुए शहर की सड़कों की दीपावली पूर्व मरम्मत कराने के दावों की पोल खुल गई है। नगर निगम शहर के कुछ इलाकों को छोड़कर शहर की अधिकांश सड़कों की सुध नहीं ले पाया है। इनमें सबसे ज्यादा टेक्स देने वाला सराफा बाजार सहित कई प्रमुख बाजारों की सड़कें भी शामिल हैं।

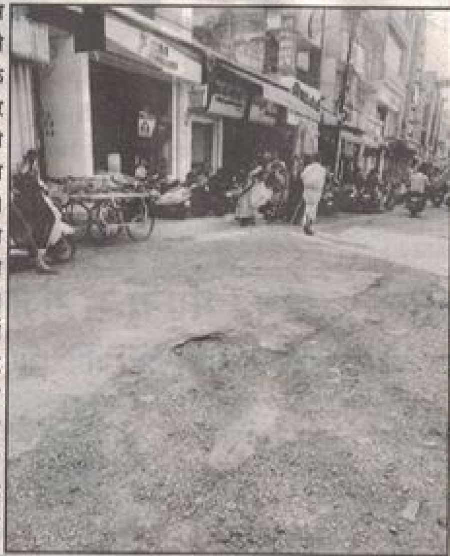

मुख्य बाजारों सहित शहर में तेजी से विकसित हो रहे पटरी पार इलाके के लोगों को भी दीपावली का त्यौहार गड्ढेदार सड़कों के साथ मनाना पड़ा है। कहने को नगर निगम ने डामरीकरण और पेचवर्क के काम शुरू कराए थे, लेकिन वे दीपावली आने से पहले ही बंद हो गए। दीपावली के पहले शहर की सड़कों की हालत सुधारने का दावा जिले के प्रभारी नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री ओपीएस भदौरिया ने ही किया था। विधायक चेतन्य काश्यप और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी लगातार नगर निगम के अफसरों की क्लासें लेकर सड़कें सुधारने के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन निगम अफसर लापरवाह निकले। उन्होंने नगर निगम की छवि पर बट्टा लगा दिया।

गौरतलब है कि सीवरेज लाइन और पाइप लाइन सहित अन्य कार्यों के लिए पिछले साल में शहर की सड़कों को कई बार खोदा गया है। इससे वे बुरी तरह छलनी हो गई है। कहने को निगम द्वारा प्रत्येक खुदाई से पहले सड़क के भराव के लिए राशि का प्रावधान रहता है, लेकिन अफसरों की लापरवाही से ठेकेदार धता बता जाते हैं। सीवरेज लाइन के ठेके में भी खोदी गई सड़क की मरम्मत की शर्त सम्मिलित थी, लेकिन अधिकांश जगह ऐसे ही खुदी हुई सड़क छोड़ दी गई। बारिश के दौरान कीचड़ और अब गड्ढों के साथ खुदी सड़क का धस जाना इन सड़कों की निशानी बन गए हैं।

..शेष पृष्ठ 2 पर

पांच साल की योजना पचास में पूरी होगी?

विधायक चेतन्य काश्यप की सक्रियता से नगर की सभी सड़कों के नवनिर्माण के लिए पांच साल का रोडमैप बनाया गया है। इसे फरवरी महीने में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने मंजूरी भी दी है। इसके मुताबिक 125 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर करीब 175 किलोमीटर सड़कें बनाई जाना है। निगम के यही हाल रहे, तो पांच साल की योजना को पूरे होने में पचास साल लग जाएंगे।

34२२६

पृष्ठ 1 का शेष

ज्यादा टेक्स

सड़कों को लेकर नेताओं की किरकिरी हुई, तो उनकी फटकार के बाद नगर निगम द्वारा करीब 40 सड़क मार्गों के डामरीकरण की निविदाएं निकाली गई थी। विडंबना है कि उनमें 6 निविदाएं स्वीकृत होकर कार्यादेश जारी हुए और मात्र तीन सड़कों का काम ही निगम अमला करवा पाया। इसी प्रकार पेंचवर्क के लिए साल भर की 80 लाख की निविदा है और विभाग के मंत्री का दावा होने के बाद भी दीपावली के पहले नगर निगम गिनती के सड़क मार्गों स्टेशन रोड, फ्रीगंज रोड, दो बत्ती से मेहंदी कुई बालाजी, नगर निगम से जेल रोड, बाल चिकित्सालय रोड, आबकारी चौराहा से चांदनीचौक व गौशाला रोड पर ही पेंचवर्क करवा पाया है। इससे जाहिर है कि विधायक, कलेक्टर तो ठीक विभाग के मंत्री के आदेश भी निगम के अफसर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने में माहिर हो गए हैं।

उपग्रह 11/11/21

वैक्सीनेशन में सामाजिक संगठन निभाएं जिम्मेदारी

रतलाम | कलेक्टर कार्यालय में जनअभियान परिषद के तत्वावधान में एडीएम एमएल आर्य एवं एसडीएम अभिषेक गहलोत की मौजूदगी में वैक्सीनेशन को लेकर बैठक हुई। इसमें वीर सावरकर मंच, करमदी विकास समिति, गायत्री शक्तिपीठ, पतंजलि योगपीठ, सहयोग महिला समिति, खुशी एक पहल, दृश्य वेलफेयर सोसायटी सहित अन्य सामाजिक संगठन शामिल हुए। बैठक में एसडीएम ने बताया वैक्सीन अभियान 71 फीसदी से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिया है। शेष लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक संगठन अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक संख्या में प्रथम एवं द्वितीय डोज लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। इस मौके पर मधु शिरोडकर, प्रभु नेका सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।

भास्कर

मंडी में आने वाले किसान और कलेक्टोरेट जाने वाले लोगों को लगा रहे वैक्सीन

रतलाम | जिले के कृषि मंडी परिसरों में आने वाले किसानों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कलेक्टोरेट में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया। जहां तैनात टीकाकरण दल कलेक्टोरेट में आने-जाने वालों से वैक्सीन के संबंध में पूछताछ कर रहा है। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें वैक्सीनेटेड किया जा रहा है। मंगलवार को कलेक्टोरेट में जाने वाले 24 लोगों को वेक्सीनेटर किया।

दे. भास्कर 11/11/21

स्वच्छता के साथ कभी समझौता नहीं करे

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए

रतलाम । हमें स्वच्छता के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, स्वच्छता उतनी ही आवश्यक है जितना हमारे लिए भोजन हवा और पानी इन सब के बिना हमारा जीवन बिलकुल अधूरा है और इसी प्रकार स्वच्छता के बिना हमारा जीवन अधूरा है ।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने मगंलवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित विभिन्न जागरुकता गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से ज्यादा स्थानों पर रांगोलियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी दिया। वही कई क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से सम्पर्क कर उन्हे कचरे निपटान के सही तरीकों से अवगत कराया।

श्री झारिया ने कहा कि धरती पर जीवन यापन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसलिए इसका सदैव पालन करना चाहिए। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में रहते हो।

उन्होने कहां कि भारत सरकार द्वारा बहुत सारे अभियान चलाये गए हैं। ताकि प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छता के गुणों का पता चले। स्वच्छ भारत अभियान इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी जयंती के मौके पर शुरू किया गया। श्री झारिया ने कहां कि स्वच्छता के मामले में हम रतलाम को नम्बर बना सकते है। नागरिक स्वच्छता को बनाए रखने में सहयोग करे। इधर-उधर कचरा फेंकने की आदत से मुक्त हो और अपने घर या दुकान के कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहनों में ही करे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह,किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

स्वतंत्र रतलाम 11/11/21